ISSN: 0024 -595X

लोकतन्त्र समीक्षा

खण्ड 48 अंक 1-4 जनवरी – दिसम्बर 2016

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान
नई दिल्ली

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन, *लोक सभा अध्यक्ष*

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

श्री एस. एस. अहलुवालिया, *सांसद, लोक सभा*

उपाध्यक्ष

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, *सांसद, लोक सभा*

अवैतनिक कोषाध्यक्ष

कुंवर आनन्द सिंह, *अधिवक्ता*

कार्यकारिणी सदस्य

निर्वाचित

श्री जगदेव
अधिवक्ता

श्री डी. एस. माथुर
अधिवक्ता

डॉ. सुरेन्द्र सिंह राणा
सह-प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय

श्री जितेन्द्र पाराशर
अधिवक्ता

नामित

श्री के.टी.एस. तुलसी
सांसद, राज्य सभा

श्री देश दीपक वर्मा
महासचिव, राज्य सभा

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव, लोक सभा

सुश्री रीना सिन्हा पुरी
संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार,
कोयला मन्त्रालय

श्री एस.आर. मिश्रा
संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार,
विधि कार्य विभाग,
विधि एवं कानून मन्त्रालय

निदेशक

श्री पी. सी. कौल

समीक्षक मण्डल

- प्रौ० अमरपाल सिहं, प्रौफेसर विधिशास्त्र, गुरू गोबिन्द सिहं इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सैक्टर-16सी, द्वारका, दिल्ली-110078
- प्रौ० के०पी०एस० महलवार, चेयर प्रौफेसर, प्रौफेशनल एथिक्स, नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सैक्टर-14, द्वारका, दिल्ली-110078
- प्रौ० अनुपमा गोयल, प्रौफेसर विधिशास्त्र, नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सैक्टर-14, द्वारका, दिल्ली-110078
- प्रौ० रूमकी बसु, प्रौफेसर राजनीति विज्ञान, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025
- प्रौ० सुनील कुमार चौधरी, प्रौफेसर राजनीति विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- श्री पी०के० मिश्रा, पूर्व एडिशनल सैक्रेटरी, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
- डॉ० विनय कृष्ण भटनागर, पूर्व डायरैक्टर, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

लोकतन्त्र समीक्षा

खण्ड 48 अंक 1-4 जनवरी - दिसम्बर 2016

सम्पादक मण्डल

अध्यक्ष

श्री एस. एस. अहलुवालिया

सम्पादक

श्री पी. सी. कौल

सहायक सम्पादक

डॉ. रविन्द्र सिंह

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान
नई दिल्ली

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान

18-21, विट्ठलभाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

Website: www.icpsindia.org

E-mail: icps.newdelhi@gmail.com

© 2016 सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान

ISSN: 0024-595X

शोध पत्रिका में सही जानकारी उपलब्ध करवाने तथा त्रुटियाँ दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया है। तथापि संभव है कि जर्नल में भूलवश कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों। ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए लेखक, सम्पादक व संस्थान किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

विषय सूची

खण्ड 48 अंक 1- 4 **जनवरी - दिसम्बर 2016**

क्र.सं.	लेख	पृष्ठ सं.
1	समावेशी विकास : अवधारणा और प्रमुख रणनीतियाँ *जितेन्द्र कुमार पाण्डेय*	1
2	रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गाँधी की राष्ट्रवाद सम्बन्धी अवधारणा की सार्थकता *दिपिका*	15
3	सायरा बानों, उच्चतम न्यायालय और तीन तलाक : संवैधानिकता एवं आलोचनात्मक विश्लेषण *राकेश कुमार सिंह*	28
4	नक्सलवाद : आतंकवाद या अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन *अलका गोयल*	41
5	एक साथ चुनावः नये विकल्प की खोज *निलांजना जैन*	47
6	उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 : एक समाजवैज्ञानिक विश्लेषण ए.के.उपाध्याय	56
7	निर्वाचन राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ *प्रेरणा पंडित*	74
8	हरियाणा पंचायत चुनाव, 2016 से उभरती प्रवृत्तियाँ : एक विश्लेषण *राजेश कुण्डू*	91

समावेशी विकासः अवधारणा और प्रमुख रणनीतियाँ

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय*

आर्थिक विकास को किसी देश या समाज की प्रगति और समृद्धि का सूचक माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत तीव्र औद्योगिकीकरण, उदार आर्थिक नीतियों, प्रगतिशील कानून और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इस प्रयास ने यह दर्शाया है कि बेहद बहुलतावादी समाज एवं प्रबल भागीदारयुक्त लोकतांत्रिक वातावरण में भी तीव्र विकास सम्भव है।[1] पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने औसतन 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है जो बहुत उत्साहजनक है। विश्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में तीव्र गति से वृद्धि करने वाली दूसरी अर्थव्यवस्था है। यह सत्य है कि इस विकास से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों की आयु, शहरीकरण तथा भौतिक संसाधन भी बढ़े है जिससें कुछ लोगों की जिन्दगी भले रोशन हो गई पर लाखों लोगों का जीवन आज भी दूभर ही है। निःसन्देह इस विकास का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। विश्व बैंक के अद्यतन आँकड़ों के अनुसार देश की आधी जनसंख्या दो डॉलर से भी कम में अपना जीवन-यापन कर रही है।

आज अधिकांश लोग निराशा, आक्रोश, वंचना, अलगाव और प्रतिरोध की जिन्दगी जी रहे हैं। समाज में कटुता, हिंसा, नक्सली हिंसा, वैमनस्य, महिलाओं के प्रति अमानवीयता, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति अनास्था बढ़ी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लोगों ने जिस सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का स्वप्न देखा था

---

* सहायक प्रोफेसर, श्रीमती इन्दिरा गाँधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, मीरजापुर।

1 देखें, मोंटेक सिंह अहलुवालिया का आलेख ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में "नया क्या है", योजना, (नई दिल्ली) अप्रैल 2007, पृ. 04

रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गाँधी की राष्ट्रवाद सम्बन्धी अवधारणा की सार्थकता

दीपिका*

रबीन्द्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गाँधी के 'राष्ट्रवाद' सम्बंधी विचार समाज में पुर्नजागरण के प्रकाश-स्तम्भ हैं। इन विचारों के द्वारा वे पारंपरिक भारतीय राज्य की विलुप्त हुई स्मृति वर्तमान में ले आते हैं। पश्चिम के राज्य की अवधारणा,[1] जिसके अनुसार राज्य की संस्था 'समाज' और 'अर्थतंत्र' पर हावी रहती है, के विपरित पारंपरिक भारतीय राज्य की अवधारणा में 'समाज' सर्वोपरि रहता है और राज्य उसकी सत्ता का उल्लंघन नहीं कर सकता। टैगोर तथा गाँधी दोनों ने भारतीय राष्ट्र की अवधारणा को राजनीतिक स्तर पर नहीं अपितु सामाजिक स्तर पर प्रस्तुत किया। एकल संस्कृति पर आधारित राष्ट्रवाद की आधुनिक व्याख्या को नकारा एवं उसके स्थान पर राष्ट्रवाद की विविधपूर्ण समझ को महत्व दिया जो भारतीय सभ्यता तथा पारम्परिक भारतीय जीवन शैली पर आधारित है। दोनों ही विचारक स्वहित या हित समूहों की होड़ वाले लोकतंत्र की धारणा की अपेक्षा समाज के हित की धारणा के पक्षधर थे। वे हितों को आवश्यकताओं का पर्याय मानने से इंकार करते थे और जनता की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते थे।[2]

---

* असिस्टैंट प्रोफेसर, शिवाजी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली।

1 यह तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक विचार है; इसके उदय के लिए एक राष्ट्र-राज्य की धारणा का विकास हुआ, जिसके अर्न्तगत विश्व स्तर पर इसके प्रचार से गैर-आधुनिक समाजों का यूरोपीयकरण करने पर बल दिया गया जिसमें एक जैविक एकता, एक विशेष क्षेत्रफल, समान सोच, समान भाषा, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति, जैसे तत्व समाहित हों।

2 नंदी, आशीष (1983), *दि इंटीमेट इनेमीः लॉस एंड रिकवरी ऑफ सेल्फ अंडर कॉलोनियलिज्म*, ऑक्सफोर्ड, नयी दिल्ली, पृ. 10

सायरा बानों, उच्चतम न्यायालय और तीन तलाक : संवैधानिकता एवं आलोचनात्मक विश्लेषण

राकेश कुमार सिंह*

22 अगस्त 2017 का दिन उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय इतिहास में इस रूप में दर्ज किया गया कि 1400 वर्ष पुरानी एक बार में तीन तलाक देने की मुस्लिम समुदाय की सदियों पुरानी प्रथा (अर्थात तलाक-उल-बिद्दत) को उच्चतम न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से समाप्त कर दिया। न्यायालय का कहना है कि एक बार में तीन तलाक संविधान में दिये गये बराबरी के अधिकार का हनन है तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संविधान में अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत दी गयी धार्मिक आजादी का संरक्षण नहीं मिल सकता है इसके साथ ही न्यायालय ने मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 की धारा 2 में एक बार में तीन तलाक को दी गयी मान्यता समाप्त कर दी।

इस्लाम और तीन तलाक

इस्लाम के अनुसार निकाह एक पुण्य कार्य है और जिस समय निकाह किया जाता है उस समय पक्षकारों का आशय इसे जीवन-पर्यन्त बनाये रखना होता है। साथ ही कुरान में तलाक के उच्चारण को abghad-ul-mubahat अर्थात सभी चीजों में सबसे खराब (worst of all permitted things) कहा गया है तथा मोहम्मद साहब ने सभी लोगों को इससे दूर रहने की चेतावनी दी थी। साथ ही यदि इसका दिया जाना अपरिहार्य बन जाये तो इसे शान्ति से और व्यक्तिगत तौर से दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि इस्लाम न्यायालय के बाहर विवाह-विच्छेद की इजाजत देता है।[1]

---

* संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

1 कुरान में विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में निम्न बातें कहीं गयी हैं:

"O Prophet! When you divorce women, divorce them for their prescribe time, and calculate the number of days prescribed, be careful of (your duty to) Allah, your Lord.

नक्सलवाद : आतंकवाद या अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन

अलका गोयल*

जब-जब निहत्थे लोगों पर साम्राज्यवादी सत्तालोलुप आतंकियों का अत्याचार और दमन मानवता की हद को पार कर अमानुषिकता की ओर बढ़ा है तब-तब पीड़ित जनता ने दमन और आतंक से मुक्ति के लिए आन्दोलन का बिगुल बजाकर अपनी अदम्य ताकत का सफल परिचय दिया है। नक्सलवाद भी एक ऐसी विचारधारा है जो मुख्यतः वर्ग संघर्ष पर आधारित है। यह पिछड़े दलित व शोषित वर्ग का शासक वर्ग के विरूद्ध किया गया एक सशस्त्र आन्दोलन है जिसका मूल कारण आर्थिक एवं सामाजिक शाषण है।

प्रस्तुत शोध पत्र में सकारात्मक आन्दोलन से न्याय माँगने वाले नक्सलवादियों के आतंकवाद के भयानक रास्ते पर भटकने का तथ्यपरक विश्लेषण है।

नक्सलवाद

माओवादी विचारधारा पर आधारित नक्सलवाद भारत में भूमिहीन किसानों से जुड़ी समस्याओं से उत्पन्न एक ऐसा आन्दोलन है जो बन्दूक की नोंक पर अपने अधिकारों को पाना चाहता है। यह आन्दोलन उन क्षेत्रों में पनपा जिनकी शासन द्वारा सबसे ज्यादा अनदेखी की गई इसमें मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश राज्य हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से प्रारम्भ हुआ आन्दोलन वर्तमान में देश के 20 राज्यों के लगभग 180 जिलों में फैल चुका है जिनमें नक्सली अपने खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं। लगभग 40,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में नक्सलियों की अपनी अदालतें और सेनाऐं हैं जो अपना फैसला सुनाती हैं। यहाँ लोग नक्सलियों के डर से सरकार के स्थान पर इनका

---

* सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

1 सामन्त ओमियो सम ट्रेन्डस इन द नॉर्थ ईस्टर्न इन्सरजेन्सी एण्ड द नक्सलाइट मूवमैन्ट्स, इन मिश्रा एण्ड घोष, टेरेरिज्म एण्ड लॉइन्टेनसिटी कम्लिक्ट, पृ. 500-507

एक साथ चुनावः नये विकल्प की खोज

निलांजना जैन*

चौथे आम चुनावों के उपरान्त अनेक राज्यों में संविद सरकारों के युग का आरम्भ हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम गठबंधन सरकार की शुरूआत 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के गठन के साथ मानी जाती है। 1989 के आम चुनाव के पश्चात वी० पी० सिहं की अध्यक्षता में पुनः एक गठबन्धन सरकार का गठन हुआ। 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से आरम्भ हुआ संविद सरकारों का युग अगले 25 सालों तक चला।[1]

भारत सहित फ्रांस, इटली, जर्मनी, बैल्जियम आदि यूरोपीय देशों के बहुदलीय संविद सरकारों के अनुभव यह बताते हैं कि साझा सरकारें दुर्बल एवं अल्पकालीन अथवा अस्थिर होती है। ऐसी सरकारें दल-बदल, राजनीतिक सौदेबाजी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती हैं। यदि सरकार दुर्बल अस्थिर होगी तो यह देश के विकास, उसकी

---

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

1 राजीव गाँधी की मृत्यु के बाद 10वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात् सबसे बड़े दल के रूप में उभरी काँग्रेस के नेता पी०वी० नरसिम्हा रॉव ने छोटे-छोटे राजनीतिक दलों एवं कुछ निर्दलीय सांसदों का समर्थन लेकर गठबन्धन सरकार का गठन किया। बाद में दल परिवर्तन कराकर काँग्रेस ने अपनी अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार बना लिया। 28 जुलाई 1979, 1989, 1990 और 1991 तक कई बार गठबन्धन सरकार की स्थापना हुई और अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। 1996 व 1997 में क्रमशः बाजपेयी व देवगौड़ा की गठबन्धन की सरकारे बनी जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही गिर गयीं। 11वीं लोकससभा चुनाव के बाद भाजपा के नेता अटलबिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (NDA) की सरकार मात्र 13 दिन चली। 12वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात् (1998) भारतीय जनता पार्टी, जिसे सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे, कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर साझा सरकार बनाने में सफल हुई, परन्तु यह साझा सरकार थी पिछली दो सरकारों की भाँति विविध सहयोगी दलों के वाह्य समर्थन पर आश्रित थी और 13 महीने में ही (17 अप्रैल 1999) को ही गिर गई।

13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 24 दलों की गठबन्धन सरकार का गठन किया गया। सर्वाधिक घटक दलों वाली सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। 14वीं लोकसभा चुनाव में काँग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर छोटे-छोटे राजनीतिक दलों का गठबन्धन करके डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार बनाई और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में पहली बार दो प्रमुख राजनीतिक गठबन्धन राष्ट्रीय जनतांत्रिक एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन के बीच लड़ा गया और एक बार पुनः डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (UPA) की सरकार बनी।

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 : एक समाजवैज्ञानिक विश्लेषण

ए.के.उपाध्याय

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 25 वर्षों बाद चुनाव जीत कर भारतीय संसदीय लोकतन्त्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 1993 के बाद उत्तरप्रदेश में एक स्थिर (पूर्ण बहुमत वाली) सरकार बनी जिसमें समाज के सभी वर्गो का वर्चस्व स्थापित होगा। उत्तरप्रदेश की राजनीति हमेशा से जाति व सम्प्रदाय से प्रभावित मानी जाती रही है, पर इस चुनाव में मतदाताओं ने जाति व सम्प्रदाय से उपर उठकर मतदान किया। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के आक्रामक प्रचार ने समाजवादी पार्टी का "विकास मॉडल" व बहुजन समाज पार्टी की "जातिगत राजनीति" को सत्ता से बाहर कर दिया। परिणामस्वरुप धर्म व जाति का जादुई गणित इस बार नहीं चल पाया। हालांकि यह चुनाव सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण था, परन्तु भाजपा के लिए भी यह एक प्रतिष्ठापूर्ण चुनौती थी क्योंकि तीन वर्ष पूर्व उत्तरप्रदेश की 73 सीटों की बदौलत भाजपा नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में सत्ता पर काबिज हुई थी और दिल्ली, बिहार चुनाव के बाद मोदी लहर ठंडी पड़ रही थी। एक ओर समाजवादी पार्टी सत्ता को अपने पास बनाये रखना चाहती थी, तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता पुनः पाना चाहती थी। भाजपा को इन दोनों से चुनौती थी।

इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बिना किसी गठबन्धन के, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ 107 सीटों पर सहमति के साथ तथा भारतीय जनता पार्टी अपना दल व सुहेलदेव समाज पार्टी से गठबन्धन कर चुनाव मैदान में उतरी। बहुजन समाज पार्टी ने समस्त 403 सीटों पर, समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों पर, कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने 380 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और शेष 23 सीटें

---

* सहा. प्राध्या. समाजशास्त्र, शासकीय महर्षि अरविन्द महाविद्यालय, गोहद (भिण्ड)

निर्वाचन राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां

प्रेरणा पंडित*

लोकतन्त्र और निर्वाचन का अटूट सम्बन्ध है, यह एक दूसरे के पूरक हैं। जनतंत्र शासन का एक प्रकार है और एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक सत्ता का स्रोत 'जनता' में निहित होता है। जनता अपनी इस शक्ति का उपयोग 'जनप्रतिनिधि सरकार' के माध्यम से करती है। दबावमुक्त, स्वतंत्र भाव से जनता के विशाल समूह के द्वारा वयस्क मताधिकार के उपयोग के माध्यम से सरकार के निर्माण व उसके परिवर्तन की प्रक्रिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण व प्रबल तत्व है। निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता व निष्पक्षता लोकतंत्र को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। तथ्यतः निर्वाचन प्रक्रिया लोकतंत्र का हृदय है।

भारत में अधिकांश लोकसभाओं के महानिर्वाचनों के लिए अपनाई गयी प्रक्रियाओं के मध्य कुछ प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियाँ ज्ञात हुई हैं जिनमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को गहन रूप में प्रभावित करने की शक्ति निहित रही है। प्रथम लोकसभा निर्वाचन से ही ऐसी कुछ प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हुई जो कि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और प्रभावी होती गईं।

डॉ० रजनी कोठारी ने 'भारत में राजनीति' और Caste in Indian Politics, डॉ० एम० एन० श्रीनिवास ने Caste in Modern India, डॉ० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने 'निर्वाचन और राजनीति', डॉ० पद्मनाभ शर्मा ने 'महानिर्वाचन और राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत में निर्वाचन राजनीति' आदि अनेक पुस्तकों के माध्यम से विद्वान लेखकों ने इस प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्तियों का उल्लेख ही नहीं किया अपितु उनके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। शोधार्थी ने जब चौदहवीं लोकसभा

---

* सहायक अध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.के.एम. कन्या विद्यालय, होडल, हरियाणा

हरियाणा पंचायत चुनाव, 2016 से उभरती प्रवृत्तियां : एक विश्लेषण

राजेश कुण्डू*

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के लागू होने से पहले हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में प्रबन्धन व कार्य प्रकृति के दिशा-निर्देशन के लिए पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंचायत समिति अधिनियम्, 1961 लागू थे। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार आरम्भ में पंचायतों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया था व सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष था। इस अधिनियम के तहत पंचायत में अनुसूचित जाति व जनजाति से एक पंच का चुना जाना जरूरी था। महिलाओं के लिए कोई आरक्षण भी नहीं था। इस अधिनियम को 1963 में संशोधित किया गया, जिसमें पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष कर दिया गया व सरंपच का चुनाव भी प्रत्यक्ष कर दिया गया। 1966 में हरियाणा अलग राज्य बनने के पश्चात् बंसीलाल सरकार द्वारा 1971 में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 को संशोधित कर सरपंच को चुनने का अधिकार दोबारा से पंचों को दे दिया गया। देवीलाल सरकार ने 1978 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचों से सरपंच बनाने का अधिकार छीनकर फिर से मतदाताओं को दे दिया और पंचायत में एक महिला पद की अनिवार्यता कर दी गई। भजन लाल सरकार ने 1991 में इस अधिनियम में संशोधन करके पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष से कम करके 3 वर्ष कर दिया।[1] वर्ष 1983 में 73वें संविधान संशोधन आधिनयम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इन संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित कर दिया गया और ग्राम पंचायत के चुनाव को प्रत्यक्ष बना दिया गया है। महिलाओं के लिए भी कम से कम एक तिहाई पदों को आरक्षित कर दिया गया।

---

* सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।

1 *दैनिक भास्कर*, जनवरी 5, 2016, पृ. 2

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान संवैधानिक विधि तथा संसदीय अध्ययन हेतु एक मात्र संस्थान है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एवं संस्थान के प्रथम संरक्षक स्वर्गीय डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 10 दिसम्बर सन् 1965 को संस्थान का उद्घाटन किया। लोक सभा अध्यक्ष संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं।

गतिविधियाँ

- संस्थान संवैधानिक विधि तथा संसदीय अध्ययन के क्षेत्र में समय-समय पर शोध-कार्य करता है तथा संगोष्ठियों एवं व्याख्यानों आदि का आयोजन करता है।
- संस्थान दो त्रैमासिक शोध-पत्रिकाएं प्रकाशित करता है :
  - जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामैन्टरी स्ट्डीज अंग्रेजी में तथा
  - लोकतन्त्र समीक्षा हिन्दी में
- संस्थान तीन कार्यक्रम आयोजित करता है :
  - संसदीय अध्येता कार्यक्रम
  - संवैधानिक विधि में डिपलोमा तथा
  - संसदीय संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं में डिपलोमा

क्षेत्रीय शाखाएं

वर्तमान में संस्थान की एक क्षेत्रीय शाखा लखनऊ में है। अन्य क्षेत्रीय शाखाएं खोलने हेतु संस्थान में सम्पर्क किया जा सकता है।

संस्थान की सदस्यता

संस्थान की गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति संस्थान के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार हैं:

i)	आजीवन सदस्यता शुल्क	2,500/- रू	
ii)	निगमित सदस्यता शुल्क		
	(अ) संस्थान एवं महाविद्यालय	1,000/- रू	(वार्षिक)
	(ब) राज्य विधायिकाएं एवं विश्वविद्यालय	5,000/- रू	(वार्षिक)

संस्थान की सदस्यता प्रदत्त करने सम्बन्धी निर्णय संस्थान की कार्यकारिणी परिषद द्वारा लिया जाता है। सदस्यता फार्म संस्थान की वैबसाइट www.icpsindia.org से लिया जा सकता है।

समाचार पत्र के पंजीकार के अधीन पंजीकृत संख्या आर. एन. 17575/69

लोकतन्त्र समीक्षा

'लोकतन्त्र समीक्षा' एक समिक्षित (Refereed) शोध-पत्रिका है; प्रकाशनार्थ रचनाओं की समीक्षक मण्डल में नामित विषय-विशेषज्ञों द्वारा अनामित समीक्षा (Blind Review) की जाती है।

"लोकतन्त्र समीक्षा" सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान की त्रैमासिक शोध-पत्रिका है। पत्र में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं। ये न तो किसी प्रकार से संस्थान के विचार हैं और न ही संस्थान इनके लिए उत्तरदायी है। लेखों, रचनाओं, समीक्षाओं आदि के सम्बन्ध में सारा पत्र-व्यवहार निदेशक से किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं।

प्रकाशनार्थ रचना कम्पयूटर टंकित होनी चाहिए। कम्पयूटर टंकण में 14 आकार के "चाँदनी" फोन्ट का प्रयोग होना चाहिए। पूरी रचना में उद्धरण (footnotes) की एकसमान पद्धति प्रयुक्त होनी चाहिए। रचना संपादक, लोकतन्त्र समीक्षा को ई-मेल icps.newdelhi@gmail.com पर भेजी जानी अनिवार्य है। पूर्व प्रकाशित तथा प्रकाशनार्थ अन्यत्र भेजी गई रचनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

पत्रिका का वार्षिक चन्दा 300 रूपए है तथा डाक खर्च 60 रूपए है। पत्रिका का वार्षिक ग्राहक बनने एवं विज्ञापन तथा व्यावसायिक पक्ष के लिए संस्थान के निदेशक से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में संस्थान की e-mail icps.newdelhi@gmail.com द्वारा भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान
18-21, विठ्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग
नई दिल्ली-110 001
Website: www.icpsindia.org
Email: icps.newdelhi@gmail.com

सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा प्रकाशित
सम्पादकः श्री पी.सी. कौल